फर्द–अहकाम

(नियम 13)

जज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार, सिणधरी तहसील सिणधरी

मुकदमा न. - 02/2018

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम श्री मूलाराम, बाबूराम

हल्का कमठाई

पुत्र श्री पूनमाराम जाति जाट

नि0 धत्रे की ढाणी

किस्म मुकदमा धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 मु. नं. 02 वर्ष 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिली की
01-6-18	पटवारी हल्का कमठाई ने रिपोर्ट पेश कर सुचित किया कि उक्त अप्राथी ने संवत 2075 में मोजा धत्रे की ढाणी के खसरा नम्बर 625/212 रकबा 1.00 बीघा किस्म भूमि गै.मु.रास्ता पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15-6-18 को बमुकाम सिणधरी पर पेश हो। नायब तहसीलदार सिणधरी	
15.6.18	पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री दुर्गाराम पूनीया उपस्थित हुए जिनके द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर कार्यवाही [illegible] हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी अधिवक्ता उक्त अतिरिक्त भी तथ्य प्रस्तुत करने हेतु समय चाहते है अतः पत्रावली आयन्दा दि0 29/6/18 को प्रस्तुत हो। नायब तहसीलदार सिणधरी	15/6/18

29.6.2018

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अधिवक्ता द्वारा हुई दुरुमाह वार्तानुसार जवाब हेतु समय चाहा गया जिसे दिया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 18-7-18 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
नायब तहसीलदार सिणधरी

18/7/18

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। गैर-सायल अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी न्यायालय का स्थगन प्रस्तुत नहीं किया है आवाज लगाने के उपरांत भी पेशी पर भी कोई उपस्थित नहीं हुए है। प्रकरण गैरमुमकिन रास्ते का है एवं अब खरीफ फसल बुवाई का समय भी चल रहा है अतः कब्जे का निरीक्षण भी आवश्यक है अब तक किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश प्राप्त न होने एवं कोई जवाब प्रस्तुत न होने से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि गैरसायल इस संदर्भ मे कुछ भी कहना नहीं चाहता है गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर विधि अनुसार मे [illegible] गया।

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं 4 के पृष्ठ सं. 83 पर क्र.सं. 1 पर जुर्माना [illegible] निलामी राशि रू. 50/- की मांग दर्ज की गई।
(हस्ताक्षर) 19.8.17
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

(देखिये नियम 3)

नोटिस

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

न्यायालय नायब तहसीलदार सिणधरी

प्रकरण स0 02/2018 संवत 2075 सन् 2018

राज्य सरकार बजरिये पटवारी बनाम मूलाराम, बाबूराम, पिता - पूनमाराम, कौम-जाट सा.- धत्रे की ढाणी

पटवारी हल्का कमलाई ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि आपने संवत 2074 में मौजा धत्रे की ढाणी के खसरा नं 625/212 किस्म भूमि गै. मु. रास्ता रकबा 1.03 बीघा मे से 1.00 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है।

इसके द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 15.6.18 से पूर्व भूमि खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 15.6.18 को 10.30 बजे पूर्वान्ह अदालत हाजिर होवे तथा हेतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों नहीं किया जावे। आपसे यह हेतुक दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त प्रकार विधि विरूद्ध किये गये अतिक्रमणस के लिये विधि सम्मत शास्ति क्यों न अधिरोपण की जावे। आपसे यह दर्शित करने के आपको तीन माह तक की अवधि के लिये क्यो नहीं सिविल कारावास सुपुर्द कर दिया जावे वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति सदमय करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रहे कि उक्त तारीख समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपके गैर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजरी में निश्चित किया जायेगा।

आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

न्यायालय नायब तहसीलदार (stamp)

नायब तहसीलदार सिणधरी

नायब तहसीलदार सिणधरी